473

संख्या– 518 / VI-2/2016–51(17)14

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग **देहरादून दिनांक : 29 अगस्त, 2016**

विषय :– साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी के रख–रखाव, उपकरण एवं प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित बजटीय धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–685/दो–लेखा–बजट–2918/2016–17 दिनांक 11.08.16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2204 के मानक मद 17–साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र–रखरखाव एवं प्रशिक्षण–42 अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 750 हजार (₹ सात लाख पचास हजार) में से वित्तीय वर्ष 2016–17 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत **लेखानुदान की धनराशि ₹** 250 हजार को शासनादेश संख्या–321/VI-2/2016–51(17)2014 दिनांक 21.06.16 के द्वारा पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में आवंटित धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि ₹ 500 हजार (₹ पांच लाख) मात्र को आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या–490/ XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 तथा शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

5– व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे जायें।

7– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेल कूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–17–साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र–रखरखाव एवं प्रशिक्षण–42 अन्य व्यय** मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

.....2

पृष्ठांकन संख्या–518(1)/VI-2/2016–51(17)2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

C:\Users\lenovo\Rahul-2015-16\Youth Welfare\aay vyayk-2015-16\G.O..doc